नक्सलवाद : अलगाववाद की एक आन्तरिक चुनौती

* जरनैल सिंह

शोधपत्र-राजनीति विज्ञान

आज की सबसे अहम् चिंता आंतरिक सुरक्षा है। केन्द्र एवं राज्यों को मिलकर संयुक्त रूप से इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। देश आन्तरिक सुरक्षा की जटिल समस्याओं एवं खतरों के एक वृहद् युग्म से रूबरू है। इनमें से प्रत्येक के साथ अलग–अलग तरीकों से निपटने की जरूरत है।

नक्सलवाद आज एक मुख्य आन्तरिक सुरक्षा की चुनौती है। मुख्यतः नक्सलवाद या नक्सलवादी आन्दोलन का नाम एक गॉव नक्सलवाड़ी (पं. बंगाल) के नाम से जुड़ा हुआ है जो भारत, नेपाल और तब के पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। 1967 में यहां आदिवासियों ने भूस्वामियों के खिलाफ हथियार उठा लिये थे। इसके बाद यह आंदोलन जंगल की आग की तरह देश के अन्य भागों में फैल गया। देश के कुछ भागों के सर्वश्रेष्ठ और अच्छे बुद्धिमान लोग घर और कॉलेज छोड़कर इस आंदोलन से जुड़ गए और उन्होंने एक नयी सामाजिक व्यवस्था के सपने देखे।[1] स्वाधीनता प्राप्ति के दो दशक के बाद भी भारत की आबादी का एक बड़ा तबका किसान, श्रमिक और आदिवासी शोषण का शिकार हो रहा था। ऐसा महसूस किया गया कि शांतिपूर्ण तरीकों से जरूरी परिवर्तन नहीं आ पाएंगे क्योंकि निहित स्वार्थों के हाथ में सत्ता और उद्योगों का नियंत्रण बना हुआ है और खेतिहर वर्ग पर प्रमुखतः सामंती पकड़ बनी हुई है। उनका विचार था कि इन सबसे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका था सशस्त्र क्रांति।[2]

यह आंदोलन वस्तुतः 14 राज्यों के 165 जिलों में फैल चुका है साथ ही जहां सन् 2000 तक देश का बीस हजार वर्ग किलोमीटर से भी कम इलाका नक्सलियों के प्रभाव में था वह सन् 2007 तक बढ़कर 40 हजार वर्ग किलोमीटर हो गया है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक 14 सूत्री योजना तैयार की थी जिसमें लाल गलियारे के आर्थिक सामाजिक विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है और राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए कि वे भूमि सुधार तेजी से लागू करें।[3]

लेकिन जिन कारणों से देश में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला, दुर्भाग्यवश वे सभी आज भी मौजूद हैं। देश भर में गरीबी बनी हुई है। भूमि सुधारों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है। आदिवासियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। दूरदराज के इलाकों में सुशासन की हालत पतली है। इन परिस्थितियों से नक्सली आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। आकड़ों के मुताबिक देश में माओवादियों की संख्या 50 हजार के आस–पास है। इनमें 20 हजार हथियारबंद हैं। अलग–अलग गुटों में बंटे ये माओवादी उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में सक्रिय हैं और ये सभी भाकपा माओवादी से जुड़े हैं। इन्हें 'नक्सली रेड अल्ट्रा' और 'टेररिस्ट' नाम से भी पुकारा जाता है।[4] आंकड़ों के मुताबिक झारखण्ड के 24 में से 16 जिले नक्सली हिंसा की चपेट में है। इनमें माओवादियों के छह प्रमुख संगठन कार्यरत हैं। उड़ीसा के कुल 30 में 17 जिले एवं बिहार के 38 जिलों में से 19 जिलों में इनका प्रभाव है। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में से पांच में माओवादियों की जड़ें मजबूत हैं। आन्ध्रप्रदेश के चार तथा महाराष्ट्र के छह जिले नक्सलग्रस्त घोषित किए गए हैं। इस तरह नक्सलवादियों की लगातार बढ़ती ताकत और नेटवर्क ने भारत के सामने एक समस्या खड़ी कर दी है। जिसको शीर्ष नेतृत्व द्वारा सख्ती से निपटा जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चीनी प्रधानमंत्री के साथ थाइलैण्ड में हुई बातचीत का कोई महत्त्व नहीं है। नक्सलवादियों से बातचीत की उम्मीद और ऐसी बात कहना सरकारों को शोभा नहीं देता। शरीफ आदमियों पर गोलियां चलाने वाले नक्सलियों से सरकार को सख्ती से ही निपटना होगा।

आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले लोग चाहे वह आतंकवादी हो या नक्सली सीधे–सीधे देश द्रोह के केस में अंदर किए जाने चाहिए। जिस तरह नक्सलियों ने पुलिस अधिकारी फ्रांसिस इन्डिवर की अपहरण कर हत्या की तथा

* संविदा व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़

'दिल्ली—भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस' को पांच घंटे तक रोके रखा तथा अपने नेताओं कोबाड़ गांधी, छत्रधर महतो और भूषण यादव की रिहाई की मांग की यह उनके बढ़ते नापाक इरादों के ही उदाहरण हैं। कभी सरेआम पुलिस स्टेशनों में घुसकर पुलिसवालों को मारना, निरीह लोगों को डराना उनका सगल बन गया है। माओवादी गुरिल्ला युद्ध नीति में ही नहीं कूटनीति में भी सरकार से आगे हैं। चार वर्ष तक यूपीए की पिछली सरकार को वार्ता की मेज पर नक्सली संगठनों ने खुद को मजबूत किया है। नक्सलियों ने अपनी जड़े इतनी जमा ली हैं कि सुरक्षा बलों के सामने दूसरे देश की सेना से नहीं बल्कि अपने देश में युद्ध लड़ने जैसी स्थिति हो गई है। जब पानी सिर से उपर निकल गया तो केन्द्र ने अब जाकर भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (माओवादी) पर प्रतिबंध लगाया। नक्सली नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई तो कोबाड़ गांधी को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। कोबाड़ गांधी सीपीआई—माओवादियों का गिरफ्तार होने वाला कोई पहला पोलित ब्यूरो सदस्य नहीं है। इस पोलित ब्यूरो के 14 सदस्य हैं और जब से चिदम्बरम ने गृह मंत्रालय की कमान संभाली है, तब से गिरफ्तार होने वालों में कोबाड़ गांधी चौथे सदस्य हैं। लेकिन कोबाड़ गांधी से पहले अनील कुमार, अमित गांधी और विनय कुमार जैसे खूंखार माओवादी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यानी कि चौदह सदस्यीय पोलित ब्यूरो में से छह सरकार की हिरासत में हैं और गृहमंत्री सख्ती के मूंड में अवश्य है परन्तु सेना की कार्यवाही के खिलाफ है। लेकिन नक्सलियों से जो चुनौती मिल रही है और उनके बढ़ रहे खतरे को भापते हुए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल की यह मांग अनुचित नहीं है कि नक्सलियों के खिलाफ हथियार उठाने की अनुमति वायुसेना को मिलनी ही चाहिए।[5] इस आंदोलन की प्रकृति और शैली में आ रहे परिवर्तनों की पहचान करना होगा। उनका सैन्यीकरण बढ़ रहा है और वे उन्नत सैन्य संगठन में तब्दील हो रहे हैं। इसलिए स्थानीय पुलिस व्यवस्था और खुफिया तंत्र को मजबूत बनाना जरूरी हो गया है। इसके लिए नक्सल प्रभावित जिलों में सक्षम अधिकारियों की तैनाती तथा उन्हें स्थिरता प्रदान करना आवश्यक है। आंध्रप्रदेश के 'ग्रे हाउंडस' को अन्य प्रभावित राज्यों के लिए नमूने के तौर पर पेश किया जा सकता हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना एक दूसरा महत्त्वपूर्ण पहलू है। केन्द्र द्वारा बुलाई गई प्रभावित राज्यों की अनेक बैठकों में यह बात उभर कर सामने आई है कि नक्सली आंदोलन के खिलाफ चलाए गए अभियानों के दौरान प्रायः केन्द्र और राज्य खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी पाई जाती है जिससे अभियान पर बुरा असर पड़ता है। इन बैठकों का सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि केन्द्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह विभिन्न राज्यों की प्रतिरोधी रणनीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। अब तक केन्द्र सरकार की भूमिका अर्धसैनिक बलों को भेजने, राज्यों को सुरक्षा संबंधी व्यय का भुगतान करने तथा पुलिस तंत्र के आधुनिकीकरण तक सीमित थी।[6]

नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ''नक्सली समस्या से निपटने की हमारी रणनीति के दो पाये होंगे— पहला प्रभावी पुलिस प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना और साथ ही दूसरा, वंचना और अलगाव के बोध को कम करना।'' प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि— ''पुलिस अनुक्रिया आवश्यक है क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने के राष्ट्रीय दायित्व के लिए यह जरूरी है। लेकिन प्रभावी पुलिस अनुक्रिया का अभिप्राय भारतीय ाासन व्यवस्था को क्रूर बनाना नहीं है।''[7] समय आ गया है कि प्रधानमंत्री के शब्दों को अमली जामा पहनाया जाए ताकि नक्सलवाद के प्रसार को रोका जा सके। क्योंकि आज देश के 14 राज्य सत्ता के विरूद्ध अतिवादी विचारधारा की चपेट में आ चुके हैं और नक्सली गृह—युद्ध की स्थिति पैदा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। नक्सली समानांतर सरकारे चला रहे हैं। आंध्र में तो इन्होंने अपनी अर्द्धसैनिक टुकड़िया खड़ी कर रखी है। आखिर इतना बड़ा नेटवर्क राजनीतिक संरक्षण के बिना स्थापित हो ही नहीं सकता। यदि नक्सलवाद पर तुरन्त काबू नहीं पाया गया तो देश के अंधेरी सुरंग में फंस जाने का आसन्न खतरा सामने है। सरकार नक्सलियों का नेटवर्क ध्वस्त करे लेकिन साथ ही साथ उसे उन कारणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए ताकि शिक्षित वर्ग से कोबाड़ गांधी जैसे लोग नक्सली न बनें।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 पंजाब केसरी, अलगाववाद पर सरकार सख्ती के मूड में,: हरिश गुप्ता, 25 सितम्बर, 2009, प . सं. 4. 2 प्रतियोगिता दर्पण, नक्सलवादः आन्तरिक सुरक्षा को चुनौती— डॉ. गुलाबचन्द्र ललित, डॉ. मोनू कुशवाह, नव.2009, प .708. 3 राष्ट्रीय सहारा, माओवादी हिंसा की चपेट में हैः 15 राज्यों के 150 जिले, एजंन्सी 22 जून 2009, प . 13 4 योजना, भारत में नक्सलवादी आन्दोलन, प्रका श सिंह, फरवरी 2007, प .12—15. 5 पंजाब केसरी, माओवादी राजनीति बंद हो, अश्विनी कुमार, 29 अक्टूबर 2009, प .1. 6 योजना, आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियां, मनमोहन सिंह, फरवरी 2007, प . 6—7. 7 आउट लुक, बुंदेलखण्ड में नक्सलवाद की पदचाप, 29 अप्रेल, 2008, प .9.